डी.पी. विप्र कॉलेज बिलासपुर

वाणिज्य विभाग

कस्टम ड्यूटी

Presented by -
Dr. Khagendra Soni

कस्टम ड्यूटी

सीमा शुल्क से तात्पर्य उन वस्तुओं पर लगने वाले कर से है, जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह कर है जो माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। सरकार इस शुल्क का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और माल की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए करती है।

- सीमा शुल्क की दर इस बात पर निर्भर करती है कि माल कहाँ बनाया गया था और वे किस चीज से बने थे।
- भारत में सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत परिभाषित किया गया है और इससे संबंधित सभी मामले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अंतर्गत आते हैं।
- वर्ष 2020-21 के लिए सरकार के सीमा शुल्क राजस्व का बजट अनुमान 1,38,000 करोड़ रुपये था। 2019-20 के बजट के लिए सीमा शुल्क का संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ रुपये था, जबकि 2018-19 के बजट के लिए वास्तविक 1,17,812.85 करोड़ रुपये था।

कस्टम ड्यूटी के प्रकार

- मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी)
- अतिरिक्त सीमा शुल्क या विशेष सीवीडी
- सुरक्षात्मक कर्तव्य,
- डंपिंग रोधी शुल्क

सीमा शुल्क के उद्देश्य क्या हैं?

- स्थानीय विकासशील उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से एक निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि चार्ज करके सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क लागू किया जाता है।
- यह दोनों संस्थाओं को अपने बाजार के विस्तार के लिए एक उचित और समान अवसर प्रदान करता है।
- यह सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत साबित होता है।
- यह देश के निर्यात को बढ़ावा देता है।
- यह विदेशी मुद्रा बचाता है।

कस्टम ड्यूटी की विशेषताएं क्या हैं?

- बिक्री या खरीद की परवाह किए बिना माल की आवाजाही पर सीमा शुल्क लागू होता है
- सीमा शुल्क एक ऐसा कर है जो सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है
- इस पर एजुकेशन सेस भी लगता है।
- सीमा शुल्क केवल वस्तुओं पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं

धन्यवाद